अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु मैरिट कम मीन्स योजना

<table>
<tr><td>1</td><td>योजना का नाम</td><td>मैरिट कम मीन्स</td></tr>
<tr><td>2</td><td>योजना का संक्षिप्त परिचय</td><td>मैरिट कम मीन्स योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन एंव मेघावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक एंव तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय, भारत सरकार की मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (नवीन एंव नवीनीकरण) हेतु प्रति वर्ष निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। वर्ष 2014–15 से भारत सरकार के स्तर से ही डीबीटी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं के खातों में सीधे ही राशि जारी की जाती है। यह योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित एंव अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए लागू की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>लाभान्वित वर्ग</td><td>अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पात्रता</td><td>1. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नात्कोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए छात्रवृतियां प्रदान की जाती है जो दिनांक 2011–12 से प्रभावी है।
2. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रू0 से अधिक नही होनी चाहिए।
3. छात्रों को पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किया हुआ होना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>देय सुविधा</td><td>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मद</th><th>दर (छात्रावासी हेतु)</th><th>दर (डे स्कालर हेतु)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>ट्यूशन फीस</td><td>20000 रूपये तक प्रति वर्ष या वास्तविक फीस (जो भी कम हो)</td><td>20000 रूपये तक प्रति वर्ष या वास्तविक फीस (जो भी कम हो)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुरक्षण भत्ता</td><td>10000 रूपये वार्षिक (10 माह के लिए)</td><td>5000 रूपये वार्षिक (10 माह के लिए)</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>अधिकतम रूपये 30000</td><td>अधिकतम रूपये 25000</td></tr>
</table>
नोटः–योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की चिन्हत 85 शिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत छात्र–छात्राओ को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही पूर्ण पुर्नाभरण राशि देय है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>आवेदन का तरीका</td><td>ऑनलाईन</td></tr>
<tr><td>7</td><td>आवेदन कहां किया जाये</td><td>National Scholarship Portal 2.0</td></tr>
<tr><td>8</td><td>आवेदन की औपचारिकताऐं</td><td>1. पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।
2. शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आय के सम्बन्ध में पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में स्वयं का घोषणा पत्र या नियोजक की ओर से जारी आय प्रमाण –पत्र।
4. मूल–निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
5. अल्पसंख्यक समुदाय की वेब पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में स्वयं का अल्पसंख्यक होने की घोषणा प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6. फीस की मूल रसीद की प्रति।
7. बैंक खाता संख्या, प्रबन्धक से सत्यापन के बाद/बैंक पासबुक के मुख्य पृष्ठ की फोटोप्रति।
8. आधार कार्ड को बैंक खाता संख्या से लिंक करवाया जाना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>संपर्क सूत्र</td><td>उपनिदेशक द्वितीय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, निदेशालय, जयपुर फोन नम्बर 0141–2711773, ई–मेल आई डी–raj.minocell@gmail.com</td></tr>
</table>